

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES / अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

01. अभ्यर्थी अपने साथ सिर्फ दो दस्तावेज यथा-प्रवेश पत्र (Admit Card) एवं वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे। किसी विषय से संबंधित गार्ड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित है।
02. अभ्यर्थी की परीक्षा केन्द्र पर गहन चेकिंग की जाएगी, इसलिए प्रातः 07:00 बजे परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना होगा। किसी भी परिस्थिति में 09:00 बजे पूर्वाह्न के बाद परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केन्द्र परिसर में एक बार प्रवेश करने के बाद दोनों पालियों की परीक्षा समाप्ति के उपरान्त ही परीक्षा केन्द्र परिसर से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी।
03. **अभ्यर्थी अपना बैग या अन्य सामान के साथ परीक्षा परिसर में नहीं आएँगे। यदि वे सामान के साथ आते हैं, तो वे अपना सामान परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार के बाहर ही रखने का इंतजाम अपने स्तर से करेंगे। सामान रखने की जिम्मेदारी केन्द्राधीक्षक की नहीं रहेगी।**
04. सभी अभ्यर्थियों का त्रिस्तरीय Frisking किया जाएगा। प्रथम बार परीक्षा केन्द्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पदाधिकारियों द्वारा की जायेगी, जिसकी विडियोग्राफी करवायी जायेगी। द्वितीय बार परीक्षा कक्ष/हॉल के द्वार पर वीक्षकों द्वारा की जायेगी। तृतीय बार परीक्षा कक्ष/हॉल के अन्दर अभ्यर्थियों के बैठने के पश्चात् वीक्षकों द्वारा पुनः की जायेगी।
**महिला अभ्यर्थियों की Frisking महिला पर्यवेक्षिका द्वारा की जाएगी।
वीक्षकों द्वारा Frisking करने का प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही परीक्षा शुरू की जायेगी।**
05. अभ्यर्थी उपलब्ध करायी गयी OMR उत्तरपत्रक एवं प्रश्न पुस्तिका में दिये गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें और तत्पश्चात् ही इन्हें भरना शुरू करें।
06. प्रत्येक अभ्यर्थी को वितरित की गई परीक्षा पुस्तिका पर छपा नम्बर और संबंधित OMR उत्तर पत्रक में छपा नम्बर समान होना चाहिए। किसी प्रकार की विसंगति होने पर परीक्षा पुस्तिका एवं संबंधित OMR उत्तर पत्रक को अविलम्ब अपने वीक्षक से बदलवा लें। परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट के अन्दर ही परीक्षा पुस्तिका बदली जा सकती है।
07. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र में पेन/पेन्सिल ले जाना वर्जित है। परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पेन उपलब्ध कराया जायेगा।
08. व्हाईटनर/ ब्लेड/ कैलकुलेटर/ स्लाइड रूल/ लॉग टेबुल/ ग्राफ पेपर/ चार्ट या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा-मोबाईल फोन, ब्लू-टूथ, पेजर, वेपरेबल डिवाइस, स्मार्ट फोन, घड़ी आदि का उपयोग वर्जित है। उपरोक्त सामग्रियों का अपने पास रखा हुआ पाया जाना अनुचित तरीका माना जायेगा। कोई भी संचार उपकरण विशेष रूप से मोबाईल फोन लेकर परीक्षाकेन्द्र परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि वे परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर इन उपकरणों के साथ प्रवेश हेतु न पहुँचें। यदि अभ्यर्थी इसका उल्लंघन करते पाये जाते हैं, तो उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा एवं उनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
09. **अन्य निम्न परिस्थितियों में किसी भी अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा:-**
 - I. ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में अपना रोल नम्बर, सेंटर कोड या प्रश्न पुस्तिका का नम्बर सही ढंग से नहीं लिखते हैं एवं नम्बर के गोलों को सही ढंग से नहीं भरते हैं।
 - II. ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर कोई पहचान चिन्ह लगाने पर।
 - III. अपने आवंटित सीट को छोड़कर अन्यत्र बैठते हैं।
 - IV. उपस्थिति पत्रक के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर अंकित नहीं करते हैं।
 - V. कदाचार या पररूपधारण करते या अनुचित तरीका अपनाते हुये पाये जाते हैं।
 - VI. परीक्षा संचालन में प्रतिनियुक्त कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर।
10. अभ्यर्थी उपस्थिति पत्रक एवं प्रवेश पत्र में हिन्दी तथा अंग्रेजी हस्ताक्षर हेतु निर्धारित स्थान पर परीक्षा के दौरान वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही, उपस्थिति पत्रक पर अपने बायें हाथ के अँगूठे का निशान लगायेंगे।
11. परीक्षा में बायोमेट्रिक/आईरिस (Iris) का उपयोग किया जाना है, जिसमें आपका फोटो/अँगूठे का निशान लिया जाएगा एवं आईरिस कैप्चर किया जाएगा।
12. **मुख्य परीक्षा हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का आईरिस (Iris) कैप्चर का मिलान प्रारंभिक परीक्षा के दौरान कैप्चर किये गये आईरिस (Iris) डाटा से किया जा सकता है।**
अतएव अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि वे स्वयं परीक्षा में बैठें। अपने स्थान पर कोई स्कॉलर या अन्य पररूपधारी को परीक्षा में नहीं बैठाएँ। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा करते पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।
13. अभ्यर्थियों के लिए केन्द्राधीक्षक या वीक्षक के द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। **परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अभ्यर्थी उपलब्ध कराये गये प्रश्न पुस्तिका एवं ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक को अवश्य ही वीक्षक को लौटा देंगे।** यदि उक्त दोनों को आपके द्वारा लौटाया नहीं गया, तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा एवं आपके विरुद्ध दण्डात्मक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
14. कदाचार में लिप्त पाये जाने/परीक्षा कक्ष में Electronic सामग्री के साथ पाये जाने पर परीक्षार्थी को इस परीक्षा सहित आगामी 05 वर्षों के लिए एवं परीक्षा से संबंधित भ्रामक/सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 03 वर्षों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जायेगा और इसकी सूचना अन्य आयोगों को भी दी जायेगी।
15. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें, ताकि आवश्यकतानुसार इसे प्रस्तुत कर सकें।